न्यायालय उपखण्डाधिकारी किशनगढ़-बास (अलवर)

राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा शिविर ग्राम पं. मु. घासोली

पीठासीन अधिकारी :- श्री सुभाष यादव आर. ए. एस.

बैंच सदस्य :- श्री कमलेश शर्मा सेवा निवृत तहसीलदार

प्रा. पत्र संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय तिथि
94	17-11-17	24-5-18

उनवान

1- लच्छुराम पुत्र कुम्माराम उर्फ कुम्भाराम जाति ओड निवासी घासोली तहसील किशनगढ़-बास जिला अलवर :- प्रार्थी

बनाम

1- राज. सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ़-बास जिला अलवर :-अप्रार्थी

प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम

आज पत्रावली लोक अदालत में ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पेश हुई। प्रार्थना पत्र के सूक्ष्म वृतान्त निम्न प्रकार से हैं:-

प्रार्थी ने प्रा. पत्र पेश किया कि आ. ख. नं. 651/0.40 का 1/2 भाग 966/0.94 का 193/333हिस्सा 175/0.18, 968/0.2400, 1070/0.38, 1182/0.37, 1186/0.16 पूर्ण व ख. न. 1177/0.75 का 2/3हिस्सा, 1071/0.65 का 26/51हिस्सा वाके ग्राम घासोलीमें स्थित है। उक्त आराजी में प्रार्थी की जाति राजपूत दर्ज है जबकि प्रार्थी जाति से औड है। मिन प्रार्थी के पिता/दादा 1947 से पाकिस्तान से आकर ग्राम घासोली में विस्थापित होकर चले आ रहे है। पाकिस्तान में भी हमारी जाति ओड ही थी तथा वक्त विस्थापन के समय यहां पर प्रार्थी की जाति सहवन से रिकार्ड में राजपूत दर्ज हो गई जबकि यहां के वर्तमान राजपूत ठाकुर समाज से वादी की जाती का कोई मेल नहीं है। प्रार्थी बहुत पिछडे व गरीब है और समाज के हैं जो अत्यन्त पिछडा हुआ समाज है। रिकार्ड में जाति राजपूत अमल में रहने से प्रार्थी के अधिकारों पर विपरीत असर पडता है इसलिए प्रार्थी राजपूत के स्थान पर ओडदर्ज कराने का अधिकारी है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी की जाति का संशोधन राजपूत के स्थान पर औड राजस्व रिकार्ड में किया जावे ।

आज प्रार्थी का पुत्र उपस्थित हुआ जिसे पैरोकार के समक्ष सुना गया। जिसने बताया कि हमारी जाति ओड है रिकार्ड में राजपूत गलत दर्ज है जिसे दुरूस्त किया जावे। पैरोकार ने बतौर जबाब अंकित किया है कि प्रार्थी द्वारा

--2--

Scanned by CamScanner

ओड जाति होने के संबंध में कोई रिकार्ड पेश नहीं किया है। प्रार्थी का प्रा० पत्र गलत है स्वीकार नहीं है। खारिज फरमाया जावे।

दोनों पक्षों को सुने जाने के पश्चात् पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी ने प्रा० पत्र की ताईद में नकल जमाबन्दी सं० 2069-71 व जिला कार्यालय के आदेश की छांया प्रति पेश की है। प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा० भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है जिसके अनुसार रिकार्ड में हुई लिपिकिय भूल सुधार का प्रावधान है। प्रार्थी ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो सके कि करकार्ड में पूर्व के अनुसार अंकन न होकर भूलवस गलत अंकन हुवा हो। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी में जाति राजपूत दर्ज है प्रार्थी ने ऐसा कोई साबिक रिकार्ड जैसे आकंलन खतोनी, तथा रिहबलिटेशन कार्ड पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो सके कि पाकिस्तान से जब आये उस समय उनकी जाति ओड दर्ज थी और बाद में उनकी जाति गलत दर्ज कीगई है। रिकार्ड के अभाव में यह नहीं कहा जा सकता की प्रार्थी जाति ओड हो और गलती से उनकी जाति राजपूत दर्ज हुई हो। इसलिए दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साबित नहीं होने से खारिज योग्य है।

अतः आदेश है कि:-

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम बाबत आ० ख० नं० 651/0.40का 1/2भाग, 966/0.94 का 193/333हिस्सा, 175/0.18 968/0.24, 1070/0.38, 1182/0.37, 1186/0.16 पूर्ण व ख० नं० 1177/0.75 का 2/3हि० 1071/0.65 का 26/5 हि, वाके ग्राम घासोलीदस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में सिद्ध नहीं होने से खारिज किया जाता है। प्रा० पत्र फैसल शुमार=होकर दाखिल रिकार्ड हो। सुनाया गया।

बैंच सदस्य

उपखण्ड अधिकारी
राजस्व लोक अदालत 2018

Scanned by CamScanner